न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 677-दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.01.2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 50/निगरानी/09-10.

---

1. श्रीमती गीता विधवा नरेन्द्र कुमार मिश्रा
2. कुमारी मेधा पिता नरेन्द्र कुमार मिश्रा
3. कुमारी शिखा पिता नरेन्द्र कुमार मिश्रा
4. देवेन्द्र पिता नरेन्द्र कुमार मिश्रा नाबालिक
   की वली माता श्रीमती गीता मिश्रा,
   निवासीगण घासपुरा, खण्डवा
5. श्रीमती नेहा पति आशीष तिवारी
   निवासी- अमरावती (महाराष्ट्र) .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती रमा पति विरेन्द्र कुमार मिश्रा
2. कुमारी गरिमा पिता नरेन्द्र कुमार मिश्रा
3. गौरव पिता नरेन्द्र कुमार मिश्रा
4. वैभव पिता नरेन्द्र कुमार मिश्रा
   नाबालिक द्वारा माता श्रीमती रमा मिश्रा
   निवासीरएर घासपुरा, खण्डवा
5. श्रीमती नमता पति गिरीश कुमार तिवारी
   निवासी भंडारियां रोड, खण्डवा
6. श्रीमती श्वेता पति राजेश शुक्ला
   निवासी होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री गौरव मिश्रा, अभिभाशक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 15.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, खण्डवा द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील 45/अ-27/2006-97 में पारित आदेश दिनांक 7-3-09 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला खण्डवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 40/अ-27/2008-98 में पारित आदेश दिनांक 29-12-2009 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 114/1 एवं खसरा नम्बर 114/2 का रकबा क्रमश: 26.28 एकड़ व 5.00 एकड़ कुल रकबा 21.28 एकड़ भूमि पर उभय पक्ष के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15.01.2010 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त को संहिता की धारा 52 के आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण कर अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए था, किनतु उनके द्वारा बगैर गुण-दोष पर उभय पक्ष को सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मंगाये बिना आदेश पारित किया गया है । इस तर्क के समर्थन में 1990 आर.एन. 95 (उच्च न्यायालय) एवं 1989 आर.एन. 336 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7-3-2009 को आदेश पारित कर अपील प्रचलन योग्य मानते हुए ग्राह्य किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी के अधिकारों को हथियाकर (Usurp) अंतिम आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अधिकारिता रहित कार्य किया गया है, जबकि अपील विचाराधीन रहते, मूल आदेश को निरस्त करने का अधिकार संहिता की धारा 50 के

अन्तर्गत निगरानी न्यायालय को प्राप्त नहीं है । अपर कलेक्टर को केवल इस मुद्दे पर आदेश पारित करना था कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य है अथवा नहीं ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी न्यायालय होते हुए अपीलीय न्यायालय के अधिकार का उपयोग करते हुए अंतिम आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई ह, जो कि प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है ।

(4) अपर आयुक्त तथा अपर कलेक्टर के समक्ष जो मुद्दे निगरानी में उठाये नहीं गये थे, उन मुद्दों पर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गंभीर वैधानिक भूल की गई है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं थी तथा इस प्रकारण में यदि कोई कार्यवाही की जा सकती थी तो वह प्रविष्टि दुरूस्ति की कार्यवाही की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा अपने अधिकारों के बाहर जाते हुए अनुविभागीय अधिकारी के अधिकारों का उपयोग करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह आपत्तिजनक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) अपर कलेक्टर द्वारा अनावेदकगण की अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य होते हुए उन्हें अवधि विधान की धारा 5 के विपरीत अंतिम सहायता प्रदान करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है तथा अधिकार बाह्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विधान की मंशा एवं रिकॉर्ड पर मैजूद तथ्यों तथा म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110 एवं 50 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त तथा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गुण-दोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण के द्वारा खसरा नम्बर 114/1 रकबा 21.28 डेसीमल में से आवेदक के पति नरेन्द्र मिश्रा के द्वारा अवैधानिक व फर्जी रूप से बिना किसी वैधानिक आदेश के पटवारी के साथ मिलकर उपरोक्त भूमि में से पैकी रकबा 5.00 एकड़ अपने नाम राजस्व प्रपत्रों से दर्ज करवा ली गई थी।

(2) उपरोक्त नामांतरण को अनावेदकगण द्वारा राजस्व न्यायालय में चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जहां पर आवेदकगण के विरूद्ध व अनावेदकगण के पक्ष में अपर कलेक्टर द्वारा यह पाया गया कि वास्तव में बिना किसी तहसीलदार के वैधानिक आदेश के बिना आवेदकगण गीता मिश्रा द्वारा शासकीय दस्तावेजों में पटवारी के साथ मिलकर अपने नाम 5.00 एकड़ भूमि फर्जी रूप से दर्ज करवा ली गई थी एवं उक्त शासकीय दस्तावेजों में दर्ज अवैधानिक रूप से होने के कारण उसे निरस्त करते हुए 5.00 एकड़ भूमि को जिसका खसरा नम्बर 114/2 है, को भी निरस्त करते हुए सम्पूर्ण खसरा नम्बर 114/1 रकबा 21.28 डिसमिल पुन: अनावेदकगण रमा मिश्रा व अन्य के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये थे।

(3) अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे प्रारंभिक सुनवाई पर नामांतरण आदेश फर्जी पाते एवं अपर कलेक्टर का आदेश उचित पाते हुए तथा दस्तावेजों के आधार पर निरस्त कर दी गई।

(4) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष भी प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रस्तुत कर उद्घोषणा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई थी, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 30-10-2013 को निर्णय पारित कर गुण-दोष के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध एवं अनावेदकगण के पक्ष में डिक्री पारित की जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया गया है । 5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरे में प्रविष्टि की गई है, अत: अपर कलेक्टर द्वारा उक्त प्रविष्टयों को निरस्त कर सभी वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में जो आदेश दिये गये हैं, वह सही है । व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा द्वारा व्यवहार प्रकरण क्रमांक 35 ए/09 निर्णय दिनांक 30-10-2013 में भी यही निर्णय पारित किया गया है । अत: व्यवहार

न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है, में फेरबदल नहीं किया जा सकता । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर